पुलिस में कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती का टाइप टेस्ट दोबारा कराने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से छह सप्ताह में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थलकर ने राजेश यादव व आठ अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया कि कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए हिन्दी-अंग्रेजी टाइप टेस्ट के दौरान सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ गई थी। इस कारण सही शब्द टाइप करते समय गलत शब्द टाइप हो रहे थे। इसके चलते टाइपिंग की गणना में काफी अंतर आया है।

यह भी कहा गया कि ऐसा एक जगह नहीं हुआ बल्कि इस कारण पूरे प्रदेश में परेशानी हुई और परिणाम भी प्रभावित हुए। इस आधार पर टाइप टेस्ट को निरस्त कर नए सिरे से दोबारा टाइप टेस्ट कराने की मांग की गई है।